

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)

//नोटिस//

क्रमांक/1223/वि.स.निर्वा./EEM/2018
प्रति,

बीजापुर दिनांक 09/11/2018

श्री हरीश पाममोई, अम्यर्थी
निर्दलीय

ग्राम गोल्लागुड़ा, तहसील भोपालपटनम
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

विषय:- निर्वाचन व्यय रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करने बाबत।

सन्दर्भ:-कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बीजापुर छ.ग. का आदेश क्रमांक/92/वि.स.
निर्वा./EEM/2018 बीजापुर दिनांक 28/10/2018

---00---

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 87 के तहत अम्यर्थी के दैनिक निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार आपके व्यय रजिस्टर का निरीक्षण दिनांक 09.11.2018 को किया जाना नियत किया गया था किन्तु उक्त तिथि को आपके या आपके अभिकर्ता द्वारा व्यय रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

आप दिनांक 11.11.2018 की शाम 5:00 बजे तक दैनिक निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। यदि इस नोटिस में विनिर्दिष्ट समय तक फिर से, निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते हैं; तो माना जाएगा कि अम्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित, दैनिक निर्वाचन व्यय का लेखा रखने में असफल रहा है। अतः समस्त अनुमतियां निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही के लिए रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।



नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1223/वि.स.निर्वा./EEM/2018
प्रतिलिपि:-

बीजापुर, दिनांक 09/11/2018

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. श्री राजदीप सिंह (IA&AS) व्यय प्रेक्षक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-89, बीजापुर को सूचनार्थ।
3. श्री सुनील तिवारी, सहायक संचालक जनसंपर्क बीजापुर को प्रकाशनार्थ।
4. श्री देवेन्द्र साहू, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बीजापुर को जिले की वेबसाइट में प्रकाशनार्थ।



नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण
जिला-बीजापुर (छ.ग.)